भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1165

गुरुवार, दिनांक 09 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर क्षमता का विकास</u>

1165. श्रीमती शारदा अनिल पटेलः

श्री मितेष पटेल (बकाभाई): क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार घरेलू सौर क्षमता और विनिर्माण सुविधा के विकास के लिए कोई नीति बना रही है जिससे देश भर में सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार बनेगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा अन्य देशों से आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए निकट भविष्य में कोई नीति बनाने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, देश में स्वदेशी सौर निर्माण क्षमता विकसित करने एवं सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार नीतियां बना रहा है। हाल ही में, की गई कुछ पहलों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: भारत सरकार द्वारा 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों और सौर पीवी सेलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम हेतु उत्पादन से जुड़ी (पीएलआई) योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, चुने गए सौर पीवी मॉड्यूल निर्माताओं को उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों के निर्माण एवं बिक्री पर, इनके चालू होने के बाद 5 वर्षों के लिए, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) देने का प्रावधान है। यह योजना दो भागों में कार्यान्वित की जा रही है। पहले भाग में, 4500 करोड़ रु. का परिव्यय है, जिसके तहत 8737 मेगावाट के पूर्ण रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए तीन सफल बोलीदाताओं को आवंटन पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) जारी किए गए हैं। 19,500 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ दूसरे भाग में, दिनांक 30.09.2022 को योजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और दिनांक 18.11.2022 को सौर पीवी निर्माताओं के चयन के लिए निविदा दस्तावेज जारी किया गया है।

(ii) स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की कुछ वर्तमान योजनाओं जैसे सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख तथा ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II, जिनमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, के अन्तर्गत स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों तथा मॉड्यूलों को प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(iii) सार्वजनिक खरीद में 'मेक इन इंडिया' को वरीयता: 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश' के कार्यान्वयन के जरिए सरकार/सरकारी संगठनों के लिए स्वदेश निर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों एवं स्वदेश निर्मित सोलर इन्वर्टरों की खरीद एवं उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया है।

(iv) सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क लगाना: सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2022 से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया गया है।

(v) सीमा शुल्क रियायत को समाप्त करना: एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की आरंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात हेतु सीमा शुल्क रियायत प्रमाण-पत्र जारी करना बंद कर दिया है।

*****